न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 42/2024
जीसीएमएस न0 2024/137

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नाजी जाति लौहार निवासी रानीखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रार्थी

बनाम

1. शोभालाल पुत्र जगन्नाथजी जाति धाकड निवासी नयाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. भगवतीबाई पत्नि शोभालाल जाति धाकड़ वयस्क निवासी नयाखेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री योगेन्द्र सौलंकी – अधिवक्ता अप्रार्थी विपक्षी संख्या 1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक 20.06.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा मण्डा गुलफरोशान पटवार हल्का रानीखेडा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 342 के आराजी नं० 1174/596 रकबा 0.1700 हैक्टेयर लगानी 1 रुपये 19 पैसा. आराजी नं0 1175/947 रकबा 1 4300 हैक्टेयर लगानी 13 रुपये 59 पैसा, आराजी नं0 996 रकबा 0.1000 हैक्टेयर लगानी 70 पैसा, स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी व नक्षा ट्रेस पेश हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है प्रार्थी की उत्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जो प्रार्थी की आराजीयात से पश्चिम दिशा में पूर्व से [illegible] चौडा होकर उषा पत्नि शिवलालजी भराडीया की आराजी के दक्षिण [illegible] स्थित होकर उक्त रास्ता वाके मौजा सांपलियाखेडी प०ह० [illegible] सरकारी भूमि मे से होकर निम्बाहेडा छोटीसादडी [illegible] उक्त 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर आता जाता [illegible] रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजीयात पर हल बैल [illegible]डी ट्रेक्टर आदि कदीम [illegible] बाप दादा के जमाने से लाता ले जाता चला आ रहा हैं प्रार्थी इसी एक मात्र रास्ते का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं, उक्त रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने हेतु मौके पर मौजुद नही है, और उक्त रास्ता निकटतम रास्ता हैं। विपक्षीगण नं० 1 व 2 की आराजी प्रार्थी की आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। तथा विपक्षीगण भी इसी 20

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested

फीट चौडे गाडीगडार रास्ते से अपनी आराजी नं0 949, 948 पर आते जाते है विपक्षीगण प्रार्थी के उक्त रास्ते में जबरन अवरोध पैदा कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने पर आमादा है तथा रास्ते के स्वरुप में परिवर्तन करने पर आमादा है, तथा प्रार्थी व गांव के मौतबिर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगणो को समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे है, जबकि उक्त 20 फीट चौडा गाडी गडार रास्ता प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता हैं उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजुद नहीं हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी बिना किसी बाधा, के अपने बाप दादा के समय से करता चला आ रहा है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने विपक्षी नं0 3 के उक्त वाके मौजा सांपलियाखेडी प०ह० रानीखेडा की आराजी नं0 119 रकबा 0.5400 हे० मटवेड भूमि मे स्थित उक्त 20 फीट चौडा रास्ते के लिए उक्त रास्ते की भूमि के बदले डि. एल.सी.रेट के अनुसार जो भी रकम बनती है वह रकम प्रार्थी विपक्षी नं0 3 को देने के लिए तैयार हैं परन्तु वह उक्त भूमि की डी०एल०सी० रकम विपक्षी नं० 3 नही ले रहा हैं। विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर जबरन उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है और रास्ते मे अवरोध पैदा करना चाहते है प्रार्थी का उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ते को बंद कर देने की सुरत मे प्रार्थी का अपनी आराजीयात पर आने जाने का उक्त एक मात्र रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थी की आराजीयात पडत पडी रह जावेगी, तथा वर्तमान में फसल काश्त करने का समय है और प्रार्थी की भूमि को हर सुरत मे विपक्षीगण पडत रखवाने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत डि.एल.सी.रेट से नहीं लेने से प्रार्थी उक्त राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार माननीय न्यायालय में जमा करा कर राजस्व रेकार्ड में व राजस्व नक्षे में उक्त रास्ते को दर्ज कराने के अधिकारी है, तथा प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ते को बदस्तुर कायम रखाने का अधिकारी है और प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने का अधिकारी हैं।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1,2 की और से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने रिपोर्ट मय मौका इस कार्यालय कों प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि मौजा मण्डा गुलफरोशान में प्रार्थी खातेदार श्री लक्ष्मीनारायण पिता धन्ना लोहार निवासी रानीखेड़ा के नाम खातेदारी आराजी संख्या 1174/596 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1175/947 रकबा 1.43 हैक्टेयर व 946 रकबा 0.10 है0 में अपने खेत में आने–जाने हेतु कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु श्रीमान् के यहां धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्र.सं. 42/2024 में मौका निरीक्षण में पाया कि उक्त आराजियात में आने–जाने हेतु ग्राम मण्डा गुलफरोशान की पश्चिमी सीमा से जुड़े ग्राम सापलियाखेड़ी में मुख्य सड़क एन.एच. 113 से पूर्व दिशा में मौके पर कदीमी रास्ता जो कि लगभग [illegible] बना हुआ है जो आराजी नं० 119 रकबा 0.54 है० मटवेड़ बिलानाम [illegible] ग्राम सापलियाखेड़ी की आराजी के उत्तरी भाग में मौके पर [illegible] गुलफरोशान की आराजी नं0 1159/943 रकबा 0.52 है० [illegible] श्री पूनम पत्नी अखिलेश भराड़िया माहेश्वरी निवासी निम्बाहेड़ा की आराजी में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है इसमें आने–जाने हेतु खातेदार को [illegible] आपत्ति नहीं है और उसके बाद आराजी नं० 945 गै०मु० रास्ता की आराजी में होकर बना हुआ है और उसके आगे मौजा मण्डा गुलफरोशान की आराजी नं0 949 खातेदार श्री भगवतीबाई पत्नी शोभालाल 1/2. शोभालाल पिता जगन्नाथ धाकड़ 1/2 निवासी नयाखेड़ा की आराजी में से होकर कदीमी रास्ता बना हुआ है इसके भी खातेदार श्री शोभालाल

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:45:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

धाकड़ एवं भगवतीबाई पत्नी शोभालाल धाकड़ निवासी नयाखेड़ा को अपने खेत से आने–जाने हेतु कोई अपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण पिता धन्ना लोहार निवासी रानीखेड़ा को अपनी मण्डा गुलफरोशान की खातेदारी आराजी नं0 1174/596, 1175/947 व 946 में पहुंचने हेतु ग्राम सापलियाखेड़ी की सड़क से लगी हुई बिलानाम आराजी नं0 119 में से 6 मीटर चौड़ाई X 44 मीटर लम्बाई की कुल भूमि = 264 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी और आगे खातेदारी आराजी ग्राम मण्डा गुलफरोशान की आ०नं० 1159/943 (श्रीमती पूनम पत्नी अखिलेश भराड़िया) एवं 949 (श्री भगवतीबाई पत्नी शोभालाल, शोभालाल पिता जगन्नाथ धाकड़ खातेदारों को अपनी भूमि में से जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है इस हेतु सहमति स्वरूप इन्होंने हस्ताक्षर किये गये है और आ०नं० 945 गै०मु० रास्ता में से होकर जाता है। ग्राम सापलियाखेड़ी की आ०नं० 119 रकबा 0.54 है० भटवेड़ बिलानाम सरकार में अतिक्रमी के द्वारा मौके पर बना हुआ कदीमी रास्ता रोककर बंद करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार मौजा मण्डा गुलफरोशान की खातेदारी आराजी नं0 1174/596, 1175/947, 946 श्री लक्ष्मीनारायण पिता धन्ना लोहार नि. रानीखेड़ा की आराजी में पहुचने हेतु यही एक मात्र निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसमें ग्राम सापलियाखेड़ी की बिलानाम आराजी सं. 119 किस्म भटवेड़ में से कुल 264 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु काम आयेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा ने प्रस्तावति रास्ता की राशी की गणना निम्नानुसार की है:-

क्र.स	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा(है0)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	(रास्ते का क्षेत्रफल X डी0एल0सी दर प्रति वर्गमीटर X2)= कुल राशि रूपये में पूर्णाक
1	सांपलियाखेडी	119	0.54	भटवेंड बिलानाम सरकार	6 मीटर चौडाई X 44 मीटर लम्बाई= 264 वर्गमीटर	(264 वर्गमीटर X 94.78 डी0एल0सी दर प्रति वर्गमीटर X2)=50050/-
	योग					50050/–

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि मौजा मण्डा गुलफरोशान की खातेदारी आराजी नं0 1174/596, 1175/947, 946 श्री लक्ष्मीनारायण पिता धन्ना लोहार नि. रानीखेडा की आराजी में पहुचनेएक मात्र निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसमें ग्राम सापलियाखेड़ी की बिलानाम आराजी सं. 119 किस्म भटवेड में से कुल 264 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु काम आयेगी। भूमि रास्ते के उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

धारा 251–क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहॉं

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की रिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथारिथति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथारिथति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्वधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉंच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉं–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम [illegible] के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के [illegible] अपनी आराजी तक कृषि कार्य बावत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वह ग्राम प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण पिता धन्ना लोहार निवासी रानीखेड़ा को अपनी मण्डा गुलफरोशान की खातेदारी आराजी नं0 1174/596, 1175/947 व 946 में पहुंचने हेतु ग्राम सापलियाखेड़ी की सड़क से लगी हुई बिलानाम आराजी नं0 119 रकबा 0.54 हैक्टेयर में से 6 मीटर चौड़ाई X 44 मीटर लम्बाई की कुल भूमि = 264 वर्गमीटर भूमि का डी०एल०सी दर से चौडाई का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की कुल कीमत का दुगुना यानी राशि रू 50050/— प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 3 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की विपक्षी द्वारा क्षतिपूर्ति लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर ... निम्बाहेडा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र.स	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा(है0)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	(रास्ते का क्षेत्रफल X डी0एल0सी दर प्रति वर्गमीटर X2)= कुल राशि रूपये में पूर्णाक
1	सांपलिया खेडी	119	0.54	भटवेंड बिलानाम सरकार	6 मीटर चौडाई X 44 मीटर लम्बाई= 264 वर्गमीटर	(264 वर्गमीटर X 94.78 डी0एल0सी दर प्रति वर्गमीटर X2)=50050/-
योग						50050/—

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:15:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को लिखाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेडा